कार्यालय, शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्याः निरीक्षण/ 52 /2023–24 दिनांक 30 जून, 2023

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

शासनादेश संख्या–5/2023/262/सामान्य/47–का–4–2023–(1/3/96) दिनांक 07 जून, 2023 के अनुपालन में वार्षिक स्थानान्तरण नीति के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को एतद्द्वारा जनहित में स्तम्भ–3 में अंकित वर्तमान तैनाती जनपद से स्थानान्तरित करते हुए उन्हें स्तम्भ–4 में उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्ति के प्रति तैनाती प्रदान की जाती हैः–

क्र0सं0	खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम	कार्यरत जनपद	स्थानान्तरण हेतु आवंटित जनपद
1	श्रीमती नीलम	आगरा	एटा
2	श्री राकेश कुमार	उपनिरीक्षक(उर्दू), कार्यालय मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा	एटा
3	श्री कैलाश प्रसाद शुक्ला	आगरा	मथुरा
4	श्री ओमप्रकाश अकेला	आगरा	फिरोजाबाद
5	श्री राजेश कुमार चौधरी	फिरोजाबाद	कासगंज
6	श्री थान सिंह	फिरोजाबाद	एटा
7	श्री राम शंकर	फिरोजाबाद	अलीगढ़
8	श्री सुबोध कुमार	मैनपुरी	हाथरस
9	श्री नीरजा चतुर्वेदी	मैनपुरी	कासगंज
10	श्री जितेंद्र कुमार	मथुरा	अलीगढ़
11	श्रीमती पूनम चौधरी	मथुरा	अलीगढ़
12	श्री माज़उद्दीन अंसारी	अलीगढ़	मैनपुरी
13	श्री बुद्धसेन सिंह	अलीगढ़	मथुरा
14	श्री चंद्र भूषण प्रसाद	अलीगढ़	आगरा
15	श्री गिरिराज सिंह	अलीगढ़	मथुरा
16	श्री अलोक प्रताप श्रीवास्तव	अलीगढ़	हाथरस
17	श्री गिर्राज सिंह	हाथरस	फर्रूखाबाद
18	श्री हरि किशोर सिंह	हाथरस	आगरा

2– संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी तत्काल प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लें, जिसके पूर्व उन्हें किसी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– समस्त संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करेंगे। स्थानांतरित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरित खण्ड शिक्षा अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं करेंगे तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के वेतन का भुगतान संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा न किया जाय तथा उसकी सूचना तत्काल संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनिल भूषण चतुर्वेदी
अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ0सं0: निरीक्षण/ 1501-1520 /2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3— सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5— संबंधित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6— संबंधित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
7— संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि, वे स्थानान्तरित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंधी सूचना तत्काल शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज के ई—मेल nirikshan2021@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8— सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9— सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
10— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
11— गार्ड पत्रावली।

30.6.2023

डॉ0(ब्रजेश मिश्र)
सहायक शिक्षा निदेशक(सेवा—2)
कृते अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0,
प्रयागराज।